राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा

क्रमांक प. 7(86)सीएम/एचएम/बजट/डीएमई/एकेड/2015/4081 दिनांक: 27-9-2022

आदेश

राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर एवं सुपर-स्पेशियलिटी कोर्स करने वाले अभ्यार्थियों से भरवाये जाने वाले राजकीय सेवा करने के बन्ध-पत्र को लागू करने के क्रम में जारी निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के आदेश क्रमांक प. 7 (86) सीएम/एचएम/बजट/डीएमई/एकेड/2015/8000 दिनांक 12.07.2022 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार अतिरिक्त आदेश जारी किये जाते है :-

1. स्नातकोत्तर एवं सुपर-स्पेशियलिटी कोर्स पूर्ण होने पर छात्र/छात्राओं को दो वर्ष के लिये राज्य सरकार/राजमेस के अधीन प्राथमिकता से निम्नानुसार निम्न पदों पर राजकीय सेवा देने हेतु बन्ध-पत्र की शर्तो के अनुसार बाध्य किया जा सकेगा:-

   (1) चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेन्ट
   (2) चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक आचार्य (ब्रॉड स्पेशियलिटी के छात्र/छात्राओं को सीनियर रेजिडेन्टशिप पूर्ण करने के पश्चात)
   (3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कनिष्ठ विशेषज्ञ
   (4) स्नातकोत्तर योग्यता के अनुरूप अन्य कोई पद

2. सेवा बन्ध-पत्र के अधीन स्नातकोत्तर/सुपर-स्पेशियलिटी में अध्ययन पूर्ण करने वाले अभ्यार्थियों की सेवाये अनुबन्ध के आधार पर "स्नातकोत्तर चिकित्सा परामर्शक"(Post Graduate Medical Consultant) के रूप में एक निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर अनुबन्ध पर ली जायेगी।
3. स्नातकोत्तर चिकित्सा परामर्शक को प्रथम वर्ष की सेवा के लिये 85 हजार रूपयें प्रतिमाह एवं द्वितीय वर्ष की सेवा के लिये 90 हजार रूपयें प्रतिमाह पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा।
4. चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा काउन्सिलिंग के समय संबंधित विभाग यथा-चिकित्सा शिक्षा विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गयी रिक्त पदों की सूचना के अनुसार रिक्त पदो के विरूद्ध स्नातकोत्तर चिकित्सा परामर्शक के पदो के लिये इन अभ्यार्थियों के विकल्प लिये जाकर सीट आवंटित की जायेगी।

5. स्नातकोत्तर चिकित्सा परामर्शक को उनकी पात्रता के अनुरूप सहायक आचार्य/सीनियर रेजिडेन्ट/कनिष्ठ विशेषज्ञ अथवा स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता के अनुरूप अन्य कोई पद पर सेवा प्रदान करने हेतु नियुक्त किया जा सकेगा।

6. विशिष्ठ परिस्थितियों यथा–वैश्विक आपदा (जैसे–कोविड), प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा आदि अथवा सीनियर रेजिडेन्ट/सहायक आचार्य/कनिष्ठ विशेषज्ञ के समस्त रिक्त पदों को उपलब्ध करवाने के बावजूद बन्ध पत्र के अनुरूप उपलब्ध अभ्यार्थी अधिक होने पर राज्य सरकार इन्हें चिकित्सा अधिकारी/जूनियर रेजिडेन्ट के पद के विरूद्व भी नियुक्ति प्रदान करने पर विचार कर सकती है।

7. काउन्सिलिंग प्रक्रिया के दौरान स्नातकोत्तर चिकित्सा परामर्शक की सीटों (सीनियर रेजिडेन्ट/सहायक आचार्य/कनिष्ठ विशेषज्ञ) का विकल्प मेडिकल कॉलेज वार/जिले वार उपलब्ध कराया जायेगा। यदि अभ्यार्थी को मैरिट कम च्वॉइस के आधार पर स्नातकोत्तर चिकित्सा परामर्शक (सीनियर रेजिडेन्ट अथवा सहायक आचार्य) का पद/सीट आवंटित होती है तो संबंधित अभ्यार्थी की सेवाये संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के अधीन होगी एवं उनके द्वारा ही नियुक्ति पत्र जारी किया जावेगा तथा अनुबन्ध हस्ताक्षरित करवाया जायेगा। यदि अभ्यर्थी को मैरिट कम च्वॉइस के आधार पर स्नातकोत्तर चिकित्सा परामर्शक (कनिष्ठ विशेषज्ञ) पद/सीट आवंटित होती है तो संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाकर चिकित्सालय आवंटित किया जायेगा एवं अनुबन्ध हस्ताक्षरित करवाया जायेगा।

8. जिन पदों पर अभ्यार्थी नियोजित किये जायेगे, उस पद पर नियमित अभ्यार्थी पदस्थापित किये जाने पर उक्त अभ्यार्थी को अन्य पद पर नियोजित किया जा सकेगा अथवा सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

9. अनुबन्ध अवधि में प्रतिवर्ष अधिकतम 15 दिवस का आकस्मिक अवकश देय होगा। आकस्मिक अवकाश प्रति पूर्णमास पर अर्जित होगे।

10. महिला स्नातकोत्तर चिकित्सा परामर्शक को अनुबन्ध अवधि में केवल एक बार के लिये अधिकतम 180 दिवस के लिये प्रसूति अवकाश भी देय होगा।

11. उक्त नियोजन एक बार में एक वर्ष के लिये किया जायेगा, तत्पश्चात मैरिट कम च्वॉइस के आधार पर पुनः नियोजन अथवा नियोजन अवधि में वृद्धि अथवा नवीन पात्रता (एक वर्ष सीनियर रेजिडेन्ट होने पर) नवीन पद पर नियोजन किया जायेगा।

12. सेवा बन्ध पत्र के अधीन नियोजित अभ्यर्थी स्नातकोत्तर चिकित्सा परामर्शक कहलायेगा। लेकिन अभ्यर्थी द्वारा जिस प्रकृति का कार्य किया गया है उसी के अनुरूप कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र दिया जायेगा जैसे अभ्यर्थी द्वारा सीनियर रेजिडेन्ट के पद के अनुरूप सेवाये दी गई तो कार्यानुभव प्रमाण–पत्र सीनियर रेजिडेन्ट का जारी किया जावेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की आईडी संख्या 132200165 दिनांक 22.09.2022 के अनुसरण में जारी किये जाते है।

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक प. 7(86)सीएम / एचएम / बजट / डीएमई / एकेड / 2015 / 6081 दिनांकः २७/९/२२

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
2. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
3. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. निदेशक, राजमेस, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा. / अका.), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा / राजमेस, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा / राजमेस, जयपुर।
8. चेयरमेन, नीट स्टेट पीजी काउन्सिलिंग बोर्ड 2022
9. उप निदेशक (प्रशा.), राजमेस, जयपुर।
10. समस्त राजकीय / राजमेस, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
11. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
12. समस्त मुख्य / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
13. अन्य संबंधित।
14. रक्षित पत्रावली।

अति. निदेशक (अका.),
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा